अत्यावश्यक
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक–2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6138/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

पटना, दिनांक 15/5/2025

विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–467 दिनांक–07.03.2025 एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, पटना का पत्रांक–66 दिनांक–25.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा मौजा–पागलबाड़ी, थाना नं० 280, खाता नं० 388, रकवा 0.49.5 एकड़ की भूमि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, पटना से अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु जो भूमि की मांग की गयी है, यह कोई पूनीत या धार्मिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, लिहाजा इस कार्य के लिए किसी धार्मिक संस्था की भूमि निःशुल्क रूप में नहीं दी जा सकती है।"

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु उक्त भूमि के स्थान पर अन्य उपयुक्त भूमि चयन करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
14/5/25
(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6138 पं०रा० पटना, दिनांक 15/5/2025

प्रतिलिपिः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/25
(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6138 पं०रा० पटना, दिनांक 15/5/2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/25
(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/1134 पं०रा० पटना, दिनांक 15/05/2025
प्रतिलिपि:– आई टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

विद्यापति मार्ग, पटना – 800001

BIHAR STATE BOARD OF RELIGIOUS TRUSTS

Vidyapati Marg, Patna- 800001

Phone & Fax No : - 0612-2508940, 2508944, E.mail :- dharmiknayas@gmail.com

पत्रांक : –

दिनांक :–

निबंधित/ई–मेल

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
प्रशासक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।
E-mail-dm. katihar.bih@nic.in

विषय :– श्री श्री 108 राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0–नवाबगंज, थाना–मनिहारी, जिला–कटिहार(नि0सं0–2667/1985) के सम्बंध में।

प्रसंग :– आपका ज्ञापांक–467 दिनांक–07.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक न्यास के सम्बंध में प्रसांगिक पत्र द्वारा मौजा–पागलबाड़ी थाना नं0–280 खाता नं0–388, रकवा–0.49.5 एकड़ भूमि पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम से दानपत्र निबंधन हेतु सहमति/अनुमति की मांग की गयी है, के संदर्भ में कहना है कि "पूर्व में भी पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु पर्षद में कई प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए थे, जो पर्षद की बैठक दिनांक–06.05.2023 में सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया है।"

पर्षद की बैठक दिनांक–06.05.2023 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि "पंचायत भवन निर्माण हेतु जो भूमि की मांग की गयी है, यह कोई पूनीत या धार्मिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, लिहाजा इस कार्य के लिए किसी धाार्मिक संस्था की भूमि को निःशुल्क रूप में नहीं दी जा सकती है। प्रभावी विधि के तहत यदि सरकार चाहे तो सरकार द्वारा निर्धारित लीज विधि अधिनियम के तहत जमीन लेकर राशि का भुगतान करें और या सरकार द्वारा निर्धारित मासिक किराया राशि का भुगतान का प्रस्ताव दे जिससे वह राशि उक्त धार्मिक संस्था के विकास के कार्य में प्रयोग हो सके, विचार किया जायेगा।"

अतः आग्रह है कि पर्षद की बैठक दिनांक–06.05.2023 में सर्वसम्मति से लिए गये उपरोक्त निर्णय के आलोक में अपना प्रस्ताव दें जिसपर पर्षद द्वारा विचार किया जायेगा। तबतक न्यास की उपरोक्त वर्णित भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं किया जाये। उल्लेखनीय है कि न्यास समिति द्वारा भी पंचायत सरकार भवन एवं कचरा प्रबंधन हेतु कुल 104 डी0 भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था, जिसे पर्षद की बैठक दिनांक–06.05.2023 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। सुलभ संकेत हुए पर्षदीय पत्रांक–03 दिनांक–01.04.2025 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)

प्रशासक।

समा0– पर्षदीय पत्रांक–03 दिनांक–01.04.2025 की छायाप्रति संलग्न

ज्ञापांक :– 66 दिनांक :– 25/4/2025

प्रतिलिपि :–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

प्रशासक।

**Dm Re -lett 26674/Rakesh kr/16-04-25

सचिव
पंचायती राज विभाग
गोपनीय कोषांग
ई–ऑफिस डायरी सं0 4030684
तिथि 2/5/25

निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना 05 MAY 2025

संयुक्त सचिव, पंचायती राज, बिहार, पटना 07 MAY 2025 1682

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना – 800001
BIHAR STATE BOARD OF RELIGIOUS TRUSTS
Vidyapati Marg, Patna- 800001
Phone & Fax No : - 0612-2508940, 2508944, E.mail :- dharmiknayas@gmail.com

पत्रांक : – 03 दिनांक :– 01/04/2025

निबंधित

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
प्रशासक।

सेवा में,

श्री कामता प्रसाद सिंह, सचिव न्यास समिति
पे0–स्व0 जगत नारायण सिंह
ग्राम+पो0– नवाबगंज,
थाना– मनिहारी,
जिला– कटिहार, पिनकोड– 854113.

विषय :– **श्री श्री 108 राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0– नवाबगंज, थाना– मनिहारी, जिला–कटिहार (नि0सं0–2667/1985) के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका आवेदन पत्र पत्रांक/दिनांक–शून्य, पर्षद में प्राप्ति तिथि–13.02.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक न्यास से सम्बंधित भूमि में प्रसांगिक पत्र द्वारा न्यास की भूमि जिसका मौजा–पागलबाड़ी, थाना सं0–280, खाता सं0–161 खेसरा सं0–388 रकवा–50 डी0 एवं कचरा प्रबंधन हेतु मौजा–बौलिया, थाना नं0–297 खाता सं0–615 खेसरा सं0–1302 रकवा–50 डी0 एवं मौजा–बौलिया, थाना नं0–297, खाता सं0–615, खेसरा सं0–1302, रकवा–04डी0 में पंचायत सरकार भवन एवं कचरा प्रबंधन (WPU) कुल रकवा–104 डी0 में भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है, के संदर्भ में कहना है कि पूर्व में भी पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु पर्षद में कई प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए थे, जो पर्षद की बैठक दिनांक–06.05.2023 में सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया है।

पर्षद की बैठक दिनांक–06.05.2023 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि "पंचायत भवन निर्माण हेतु जो भूमि की मांग की गयी है, वह कोई पूनित या धार्मिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, लिहाजा इस कार्य के लिए किसी धार्मिक संस्था की भूमि को निःशुल्क रूप में नहीं दी जा सकती है। प्रभावी विधि के तहत यदि सरकार चाहे तो सरकार द्वारा निर्धारित लीज विधि अधिनियम के तहत जमीन लेकर राशि का भुगतान करें और या सरकार द्वारा निर्धारित मासिक किराया राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दे जिससे वह राशि उक्त धार्मिक संस्था के विकास के कार्य में प्रयोग हो सके, विचार किया जायेगा।"

अतः आपसे आग्रह है कि पर्षद की बैठक दिनांक–06.05.2023 में सर्वसम्मति से लिए गये उपरोक्त निर्णय के आलोक में अपना प्रस्ताव दें जिसपर पर्षद द्वारा विचार किया जायेगा। तबतक न्यास की उपरोक्त वर्णित भूमि पर पंचायत सरकार भवन एवं कचरा प्रबंधन (WPU) निर्माण हेतु कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं किया जाए।

विश्वासभाजन।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रशासक।